आदेश

वाद संख्या- 01/2017
श्री रणधीर कुमार (बी.आर.21-एल.-6221)
बनाम
राज्य परिवहन प्राधिकार

2
07.06.2017

अभिलेख उपस्थापित।

वाहन स्वामी श्री रणधीर कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रणधीर कुमार सिंह उपस्थित हुए। उनका कहना है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं प्रर्वत्तन अवर निरीक्षक, पटना द्वारा जो प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, पटना को सौपा गया है, उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जाए । बिना कनीय पदाधिकारी के रिपोर्ट के पूर्ण जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि जिला पदाधिकारी, पटना का प्रतिवेदन दोषपूर्ण है, क्योकि उनके कथनानुसार उनका वाहन संख्या-BR-52P-6221 करीब एक सप्ताह से हरनौत थाने में खड़ा है। उनका मानना है कि सौपे गये प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण हैं । इसलिए उन्हें जाँचकर्त्ता पदाधिकारी के प्रतिवेदन की आवश्यकता है ताकि वे पूर्ण जबाब प्रस्तुत कर सकें ।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा सौपे गये लिखित उत्तर की प्रति जिला पदाधिकारी, पटना को उनके मंतव्य के लिए भेजें, तथा यह भी आग्रह करें कि इस संबंध में कराये गये जाँच की प्रतियों के साथ मंतव्य दिनांक-20.06.2017 तक उपलब्ध करायें ।

जिला पदाधिकारी, नालंदा के प्रतिवेदन दिनांक-26.05.2017 से स्पष्ट है कि परमिटधारी के वाहन संख्या-BR-21L-6221 दिनांक-25.05.2017 को दुर्घटनाग्रस्त हुई और इस संबंध में एक FIR भी हरनौत थाने में दर्ज हुआ । इस वाहन में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया तथा जव्लनशील पदार्थ का परिवहन किया जा रहा था जिससे गाड़ी में आग लग गयी। इस वाहन का परमिट राज्य परिवहन प्राधिकार से निर्गत है।

परमिटधारी की ओर से विद्वान अधिवक्तागण उक्त घटना से सहमत हैं। विद्वान अधिवक्तागण का दावा है कि इस घटना में वाहनस्वामी का दोष नहीं है ।

जिला पदाधिकारी, नालंदा के प्रतिवेदन के साथ पठित जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बस के आपातकालीन द्वार का रख-रखाव सही ढ़ग से नही होने के कारण दुर्घटना के बाद लोगों को बचाया नहीं जा सका तथा इसमें सात (07) लोगों की मृत्यु हो गयी । बस में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन हो रहा था तथा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इससे यह भी स्पष्ट है कि बस मालिक द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 129 से 137 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा

रहा था। उक्त रिपोर्ट से मै सहमत हूँ कि बस मालिक द्वारा परमिट की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा था ।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के साथ पठित बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 68 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस संख्या-BR-21L-6221 का परिमट तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है ।

दिनांक-21.06.2017 तक जिला पदाधिकारी, पटना से स्पष्ट मंतव्य उपलब्ध कराने का आग्रह करे। उसके पश्चात् दिनांक-27.06.2017 को उपस्थापित करें ताकि राज्य प्राधिकार से निर्गत अन्य परमिट पर अग्रेतर निर्णय लिया जा सके।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-04/एस.टी.ए.-पी.3-128/2015 3091 /पटना, दिनांक- 13/6/17

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/गया/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा/सभी मोटरयान निरीक्षक, पटना/सभी मोटरयान निरीक्षक, नालंदा/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना/नालंदा/ आई.टी. मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री रणधीर कुमार, पिता-श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, पता-ग्राम+पोस्ट-मुरौरा, थाना- बिहार शरीफ, जिला-नालंदा-803101 को सूचनार्थ प्रेषित।

12/6/17

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।